

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
कुलसचिव कार्यालय

संख्या: यू0ओ0यू0/आर 3/अधि0/परि0संशो0/2017

दिनांक: 25 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 17वीं बैठक दिनांक 25 मार्च, 2017 के प्रस्ताव संख्या-17.14 एवं 17.15 में पारित निर्णय के अनुसार महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्रांक-3830/जी0एस0/शिक्षा-सी 7-22/2018, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 20 से 23 तथा परिनियम 25-13(अ) में विश्वविद्यालय के शैक्षिक पदों की अर्हता एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्था एवं परिनियम 28 तथा 29 में शिक्षकों के कैरियर अभिवर्धन योजना से संबंधित व्यवस्था में परिनियमावली में पूर्ण रूप से संशोधन प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अतः विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 20 से 23 तथा परिनियम 25-13(अ) एवं 28 तथा 29 में पूर्ण संशोधन प्रतिस्थापित किये जाते हैं।


(प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र)

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई-मेल द्वारा सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति जी के सचिव को उनके पत्र संख्या-3830/जी0एस0/शिक्षा-सी 7-22/2018, दिनांक 18 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
3. कुलपतिजी के वैयक्तिक सहायक को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त विद्या शाखाओं के निदेशकगण।
5. वित्त नियंत्रक।
6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ।
7. आई0सी0टी0 प्रकोष्ठ।
8. अधिष्ठान।
9. संबंधित पत्रावली।


(प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र)

कुलसचिव